राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur

(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

क्रमांकःआर.एस.ए.एच.सी. / परीक्षा–कण्डक्ट / 2025–26 / 560 दिनांकः 16/07/2025

ई–बोली आमन्त्रण सूचना (N.I.B.) 2025-26

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये निम्नानुसार अंकित विशेष विवरण **(Specifications)** के अनुसार एक लाख रूपये बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण करवाने हेतु पंजीकृत, तकनीकी रूप से सक्षम तथा अनुभवी संस्थाओं / मुदक / फर्मों से दरें प्राप्त करने हेतु द्वि–भाग (Two Bids) सिस्टम से ई–बोली के माध्यम से खुली बोलियां आमन्त्रित की जाती हैः–

उपापन संस्था का नाम	राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर (सी–7 ए, सुल्तान हाउस, जय सिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर–302016)
उत्तरपुस्तिकाओं का विशेष विवरण (Specifications)	Answer-Book Cover Page With OMR Sheet And Barcoded, Map Litho Paper 100 GSM, Size 30.5x21cm Inner Answer Book, 40 Pages, Size:-30.5x21 cm, A Class 60 GSM Paper Detailed Specifications are mentioned in special Conditions of e-bid (Anx-1) उत्तरपुस्तिका का नमूना कौंसिल के कार्यालय में आकर देखा जा सकता है।
अनुमानित लागत	Rs. 14 लाख रू.
उत्तरपुस्तिकाओं की मात्रा	1 लाख
बोली प्रपत्र का मूल्य	400 / – रू
आर आई एस एल प्रोसेसिंग शुल्क रू	500 / – (डी.डी. MD, RISL) के पक्ष में देय होगा)
अमानत राशि	(Rs. 28,000/- रूपये) कुल अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत डी.डी. सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के पक्ष में देय होगा।
बोली प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 17.07.2025 से 28.07.2025 तक (प्रातः 11:00 बजे से शाम 5 बजे तक)
तकनीकी बोली खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 29.07.2025 के दोपहर 12:00 बजे
वित्तीय बोली खोलने का समय	तकनीकी बोली की मूल्यांकन रिपोर्ट उपरान्त (तकनीकी रूप से सफल समस्त बोली दाताओं को सूचित किया जायेगा।)

Note:- बोली दाता, बोली दस्तावेज में उल्लेखित निर्धारित समयावधि में कौंसिल कार्यालय के परीक्षा स्टोर अनुभाग से बोली शुल्क जमा करवाकर बोली दस्तावेज प्राप्त कर सकते है या बोली के सम्बन्ध में विस्तृत शर्तें एवं बोली प्रपत्र व अन्य विवरण https://rsahcouncil.org या https://sppp.rajasthan.gov.in या https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में बोली शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल के पक्ष में देय) व RISL प्रोसेसिंग शुल्क जरिये डी.डी. MD, RISL के पक्ष में जमा कराना होगा। बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोलीदाता को तकनीकी रूप से असफल माना जायेगा व उनकी बोली स्वीकार नही की जायेगी।

(उत्तम सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.
सचिव

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur
(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

क्रमांकःआर.एस.ए.एच.सी. / परीक्षा–कण्डक्ट / 2025–26 / 560 दिनांकः 16/07/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, RISL जयपुर के आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना आज ही आरएसएएचसी की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. लेखा शाखा को https://sppp.rajasthan.gov.in/ या https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कौंसिल कार्यालय पर चस्पा करें।
6. रक्षित पत्रावली।

सचिव

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur

(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Tender Documents

निविदा की सामान्य शर्तें

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये अंकित विशेष विवरण **(Specifications)** के अनुसार एक लाख रूपये बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में)

....

बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न निर्देशों व शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे तथा प्रमाण स्वरूप बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर करेंगें।

1. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता बोली दस्तावेज में दिये गये तकनीकी मानदण्डो पर सफल होने पर ही वितीय बोली में भाग ले सकेंगे।
2. बोली सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर को संबोधित की जानी है।
3. निम्न स्थिति में निविदादाता निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नही होगा।
   (क) यदि उसे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व राज्य या केन्द्र के किसी उपकम के द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया हो।
   (ख) यदि इस उपापन संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया हो)
   बोलीदाता को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा (Annexure-7) मे, निर्धारित प्रारूप में 50 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर) कि उसे किसी भी उपापन संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है। यदि निविदादाता द्वारा अपनी अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचना/दस्तावेज असत्य या दुर्व्यपदेशन गठित करने वाली अथवा सारवान रूप से गलत या अपूर्ण पायी जाती है तो निविदादाता के साथ किये गये अनुबन्ध को निरस्त करते हुये जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त किया जा सकेगा।
4. बोलीदाता को निविदा ऑनलाईन माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत करनी होगी (i) तकनीकी निविदा हेतु पार्ट–1 में उल्लेखित दस्तावेज स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होगी तथा निर्धारित निविदा शुल्क, आर.आई.एस.एल. शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि निर्धारित समय तक जमा करानी आवश्यक होगी। (ii) वित्तीय निविदा जिसमें वित्तीय निविदा प्रपत्र (Part-II) के अनुसार निर्धारित BOQ शीट में अपना सेवा शुल्क तथा जी.एस.टी. के साथ लागत अंकित करनी होगी। उक्त में से किसी के भी अभाव में निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित कर दिया जायेगा।
5. **बोलियों का प्रत्याहन, प्रतिस्थापन और उपान्तरणः–**
   - निविदादाता बोली लगाने के पश्चात् अपनी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण बोली लगाने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व तक कर सकता है।
   - नियत समय के उपरान्त बोली दाता अपनी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण नहीं कर सकता है।
6. नियत समय उपरान्त प्राप्त बोलियों पर विचार नही किया जावेगा तथा इन राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधि. व नियमों के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. तकनीकी निविदा हेतु आवश्यक दस्तावेज तकनीकी निविदा प्रपत्र Part-1 (Anx-2) में उल्लेखित है जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों की सत्याप्रित प्रति ऑनलाईन माध्यम से अपलोड की जानी आवश्यक है उक्त के अभाव में बिना किसी आगामी पत्राचार के निविदादाता को तकनीकी रूप से असफल कर दिया जायेगा।
8. सशर्त निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा (स्वयं के लेटर हैड पर Annexure-6 अनुसार घोषणा)
9. तकनीकी निविदा में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी जो वित्तीय निविदा प्रपत्र (Part-2) (Anx-3) अनुसार निर्धारित BOQ शीट में प्रस्तुत की जावेगी।

10. प्रस्तुत दरों में विषय वस्तु की लागत के साथ सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल किया जाना चाहिए किन्तु जी.एस.टी. पृथक से दर्शाया जावें। किसी भी प्रकार की कर देयता की स्थिति में उसके भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
11. **निविदा का मूल्यांकनः–** वित्तीय दर का मूल्यांकन निविदा प्रपत्र में अंकित विशेष विवरण (Specifications) के अनुसार कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर–पुस्तिका की न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा। यदि किन्ही दो निविदादाताओं की दरें समान पायी जाती है तो निविदा का मूल्यांकन बोलीदाता के तकनीकी दस्तावेजों के आधार पर कौंसिल की उपासन समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।
12. बोली की वैधता 90 दिवस होगी।
13. **बोली प्रतिभूति / बयाना राशि (Earnest Money):-** बोलीदाता द्वारा अनुमानित लागत के 02 प्रतिशत के समतुल्य राशि रू. 28,000 /– का डी.डी. बोली प्रतिभूति के रूप में सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रतिभूति / बयाना राशि जमा कराने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार लघु उघोग ईकाईयों आदि को नियमानुसार छूट दी जायेगी, लेकिन इसके सम्बन्ध में बोलीदाता को साक्ष्य स्वरूप आवश्यक प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
14. **निविदा शुल्कः–** बोलीदाता फार्म द्वारा निविदा शुल्क रू. 400 /– (अक्षरे रूपये चार सौ रूपये मात्र) के ऑनलाईन अथवा डी.डी. / B.C. (सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के पक्ष में देय) के रूप में निर्धारित समयावधि तक बनवाकर रसीद / डी.डी. / तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेंगें। उक्त के अभाव में बोली को स्वीकार नही किया जायेगा।
15. **प्रोसेसिंग शुल्कः–** आर.आई.एस.एल. प्रोसेंसिंग शुल्क राशि रू. 500 (अक्षरे रूपये पांच सौ मात्र) को बोलीदाता द्वारा जरिये डी.डी. / (MD, RISL के पक्ष मे देय) तकनीकी बोली के साथ जमा करवाना होगा।
16. बोली प्रतिभूति की राशि का समर्पहरणः–
    - (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
    - (ख) जब बोली दाता विनिर्दिष्ट समय में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने व करार करने में असफल रहता है।
    - (ग) जब निविदादाता सत्यनिष्ठा की संहिता को भंग करता है।
    - उपरोक्त स्थितियों में बोली प्रतिभूति घोषणा पत्र के आधार पर बोलीदाता को बोलीप्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा ऐसा नही करने पर राज, लोक उपापन पारदर्शिताअधि. 2012 व नियम 2013 के प्रावधानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः–**

(क) निम्नलिखित के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना ली जायेगीः–

1. राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग / बोर्ड,
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनियां,
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षः या अप्रत्यक्षः स्वामित्वाधीन या नियंत्रित कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप–धारा (5) या (7) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा लेखापर्रीक्षा के अध्यधीन हो : या
4. स्वायत्त निकाय, रजिस्ट्रीकत सोसाइटियां, सहकारी सोसाइटियां जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियत्रण या प्रबन्ध में हो। तथापि, उनमें एक कार्य सम्पादन प्रतिभेति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबन्ध को शिथिल कर सकेगी।

(ख) सफल निविदादाता को इस आश्य का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उल्लेखित समयावधि में कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत राशि के Demand Draft/Banker

Cheque/ द्वारा (सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के पक्ष में) जमा कराना होगा।

18. वित्तीय दरों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरणः–

(i) बोलीदाता के वित्तीय दस्तावेज में (B.O.Q.) में अपनी दरें प्रति उत्तरपुस्तिका (पेपर एवं मुद्रण सहित) अंकित करनी होगी। जीएसटी को पृथक से दर्शाया जाना होगा।

(ii) प्रस्तावित दरें बोली की अन्तिम दिनांक से 06 माह तक प्रभावी/लागू रहेगी।

(iii) अनुमोदित बोलीदाता को कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 20 दिन में एक लाख उत्तरपुस्तिकायें मुद्रित कर सप्लाई करने का कार्यादेश दिया जायेगा। इसके बाद 06 माह की अवधि तक, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उत्तरपुस्तिकायें मुद्रित करने हेतु भी कार्यादेश दिया जा सकता है जिसके अनुसार अतिरिक्त उत्तरपुस्तिकाओं की भी आपूर्ति करनी होगी।

19. कार्य निष्पादन प्रतिभूति लौटाने के समय किसी प्रकार से ब्याज देय नही होगा।

20. कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरणः–

- (क) सफल निविदादाता निविदा दस्तावेजो में उल्लेखित विशेष विवरण (Specifications) के अनुासर साम्रगी/सेवाओं का प्रदाय न कर निम्न गुणवता की साम्रगी/सेवायें प्रदाय करता है।
- (ख) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार सेवाओं का प्रदाय करने में असफल रहता है।
- (ग) सफल निविदादाता अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन करता है।

21. **करार (Agreement):-** सफल निविदादाता को इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त 03 दिवस में उपस्थित हो 500 रू. के नॉन–ज्यूडिशियल (गैर–न्यायिक) स्टाम्प पर करार करना होगा। नियत समय पर करार **(Annexure-4)** करने (करार में बोली के सम्बन्ध में बोली सूचना में अंकित समस्त आवश्यक शर्तो का अंकन किया जायेगा जो दोनो पक्षों के लिये आवश्यक हो) में असफल होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधानुसार कार्यवाही की जावेगी।

22. उपापन संस्था बोली की आंशिक स्वीकार करने तथा किन्ही भी कारणों से रदद् करने का अपना अधिकार सुरक्षित है।

23. सफल बोलीदाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी को नही सौंपेगा या सब–लेट नही करेगा।

24. बोलीदाता को किसी शर्त के सम्बन्ध में संशय होने पर निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से 03 दिवस पूर्व तक कार्यालय में किसी कार्यदिवस में संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

25. **उत्तरपुस्तिका का नमूनाः–** बोलीदाता द्वारा बोली की अन्तिम दिनांक से पूर्व कार्यालय समय में आकर म्रुदित करवाई जाने वाली उत्तरपुस्तिका का नमूना देखा जा सकता है।

26. प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगें।

27. **गोपनीयताः–** अनुमोदित बोलीदाता द्वारा इस बोली आमंत्रण सूचना में अंकित कार्य (कार्य की प्रकृति) से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण गम्भीरता तथा पूर्ण गोपनीयता के साथ सम्पादित करना होगा।

28. निविदादाता अपनी दरों के साथ जी.एस.टी. राशि का अलग से उल्लेख करेंगें। यदि निविदादाता की फर्म को जी.एस.टी. से छूट प्राप्त है तो उस हेतु आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

29. सशर्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

30. निविदादाता को RTPP Rules के नियम 80 के अनुसार सत्यनिष्ठा की संहिता की पालना करना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा सत्यनिष्ठा की संहिता के भंग किये जाने पर उपापन संस्था द्वारा RTPP Act. Section 11(3) व 46 अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

31. उक्त निविदा दस्तावेज में यथा उपबन्धित न होने पर भी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होगें।

32. बोलीदाता द्वारा अपना उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण सम्बन्धी समस्त कार्य कौंसिल के द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार पूर्ण नही किया जाता है अथवा बीच में बन्द कर दिया जाता है तो कौंसिल द्वारा आवश्यक होने पर वह कार्य किसी अन्य पक्ष से करवाया जायेगा और अन्य पक्ष से उक्त कार्य करवाने पर जो भी व्यय होगा उस राशि की वसूली/कटौती बोलीदाता को देय राशि में से की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस विलम्ब अथवा कार्य नहीं करने के कारण कौंसिल द्वारा बोलीदाता पर शास्ति (पेनल्टी) लगाई जा सकती है, जिसकी राशि भी बोलीदाता को देय भुगतान में से काटी जायेगी।
33. **सुपुर्दगी अवधिः–** "कार्यादेश के अनुसार उत्तरपुस्तिकाओं की छपाई कर सप्लाई 20 दिवस की अवधि में करनी होगी। निर्धारित अवधि में सप्लाई नहीं करने पर कौंसिल द्वारा नियमानुसार पेनल्टी लगाई जायेगी है अथवा शेष कार्य अन्य पक्ष से करवाने पर आई लागत एवं हानि की भरपाई निविदा दाता को करनी होगी।
34. **भुगतानः–** देय भुगतान में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर (TDS) व जी.एस.टी. एक्ट के तहत (TDS) कटौती की जावेगी। उक्त कटौती के बाद देय राशि का भुगतान बोलीदाता के बैंक खाते में आर.टी.जी. एस. द्वारा जमा करा दिया जायेगा।
35. बोलीदाता अनुमोदित होने के बाद लेकिन अनुबंध करने से पूर्व कौंसिल की उपापन समिति अथवा कौंसिल द्वारा गठित दल द्वारा बोलीदाता के मुद्रणालय/कार्यशाला का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण से संतुष्ट होने के बाद ही अनुबंध किया जायेगा तथा कार्यादेश जारी किया जायेगा।
36. उपरोक्त निविदा के किसी भी प्रक्रम (प्रोसेस) पर वापिस लिये जाने तथा समस्त बोलीओ को अस्वीकार करने का अधिकार सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल के पास सुरक्षित रहेगा।
37. All Disputes arsing out of this agreement/tender and all questions relating to the interpretation of this agreement/tender shall be decided by RSAHC, jaipur and the decision of RSAHC, jaipur shall be final and binding for both the parties. If any legal dispute/conflict arrises during the agreement period, the jurisdiction shall only be in the courts of the city of jaipur.

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur

(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

अपीलः–

- निविदादाता अपील उतनी प्रतियों में जितने अपील के प्रत्यर्थी है निर्धारित प्रारूप मे (संलग्न–अनु–5) पेश करेगा।
- निविदादाता द्वारा प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गई है, यदि कोई है, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबुत के साथ होगी।
- प्रत्येक अपील प्रथम अपील अधिकारी–(i) अध्यक्ष राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी–(ii) अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को व्यक्तिशः या रजिस्टर्ड डाक या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।
- प्रथम अपील किसी निर्णय की दिनांक से 10 कार्य दिवसो में तथा द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय की दिनांक से 07 कार्य दिवसो में पेश की जा सकती है। उक्त समय के उपरान्त की गई अपील पर विचार नही किया जायेगा।

अपली फीसः–

- कोई भी अपील बिना फीस के स्वाकार नही की जायेगी। प्रथम अपील के लिए यह 2500/–(दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) तथा द्वितीय अपील के लिए यह 10,000/– (दस हजार रूपये) निर्धारित है जिसे सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफट द्वारा देय है।
- अपील पेश किये जाने पर अपील अधिकारी द्वारा नियत तिथि को सुनवाई हेतु पेश होना आवश्यक है ताकि समस्त पक्षों को सुनने के उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। इस निर्णय की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निःउपलब्ध कराई जायेगी।

अपील का प्रारूप :–**RTPP Rules प्रारूप संख्या–1 (Annexure–5 अनुसार)**

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur

(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)

http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Annexure-1

Technical specifications and special conditions for e-Bid

1. **Specifications of Answer books**
   i. Answer sheets with omr printed cover page in 100 gsm map litho paper.
   ii. The size of the answer booklet will be 30.5 21cm , 40 page (excluding cover page) in 60 GSM "A" class paper.
   iii. The answer book will contain total 40 pages excluding cover page and marking page as per specimen.
   iv. Top cover OMR page will have three vertical perforactions and self- sticking flap.
   v. The three flaps on the cover pages will have same barcode pre-printed on them indicating the answer sheet number.
   vi. The "Instructions to the students" will be printed on the back side of the OMR sheet. Which will be provided with the work order.
   vii. The cover page will be machine stitched on the answer-booklet.
   viii. The bar codes and mark.roll No. paper code etc. filled by examiner /students should be scan able by any standard type of OMR Scanner. Supplier shall be required to demonstrate correctness of the printing of OMR answer book using any standard OMR Scanner at the choice of the Council.
   ix. Add Center Code Column on answer-books.

2. An individual bidder shall participate in the tender. No consortium/Sub- letting will be allowed at any stage.

   {Self- undertaking to be submitted in this regard.} {Annexure-6}
3. The bidder should have at least a total 3 years' experience of Printing of answer-Books.
4. The bidder must have their working Printing Press/workshop in Jaupure whrer all printing activities must be carried out.

   {Documentary evidence and Self-undertaking in this submitted in this regard.}

   {Annexure-6}
5. The bidder should have annual turnocer of Rs.50 Lacs. in each year of last three financial year. [CA Certigicate/ITR to be submitted in this regard.]

(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Annexure-2

Part- I:- Technical Bid Check List

(राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये अंकित विशेष विवरण (Siecifications) के अनुसार एक लाख बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में)

SN	Particular	Required Documents & Other required Details	Page. no. of. Attached Document
1.	A registered entity in India as a proprietorship firm or a private limited or a public limited company under the Indian Companied Act 1956 or Indian Partnership Act. 1932.	A certified valid copy of the registration.	
2.	Tender Fee Rs. 400 (By way of a Demand Draft B.C. in favour of Secretary RSAHC)	Enclose Copy of fee Document/D.D/D.C.	
3.	RLSL Processing Fee Rs. 500/- (By way of a Demand Draft B.C. in favour of MD, RISL)	Enclose D.D/B.C.	
4.	Bid Security Deposit RS. 28000/- (By way of a Demand Draft B.C. in favour of Secretary RSAHC)	Enclose D.D/B.C.	
5.	PAN CARD	Certified copy of PAN Card.	
6.	GST Registration	Certified Copy of GST Registration	
7.	The Bidder should have minimum annual turnover of Rs. 50 lacs. in each year of last three financial years.	Bidder must enclose CA Firm certified or ITR about the turnover with seal & membership no of the CA firm	
8.	Total 3 years 'Work Experience.	Bidder must enclose the copies of the work order issued by procuring entities along with experience certificate.	
9.	Undertaking on Rs. 50/- non-judicial stamp about blacklisting by the state govt./center govt. & PSU of state and centre govt.or any other procuring entity	Copy of undertaking mentioned as Annexure-7.	
10.	Firm must have submit proof of their working printing press/workshop.	Copy of Lease deed, Rent agreement of firms owned permices plot patta from local body.	
11.	Phone. No. Including Mobile .No.	Details written by firm	
12.	Email Id	Details written by firm	
13.	Bank Account Details (Account No. & IFSC Code.)	Details written by firm of copy Cheque.	

नोटः– निविदादाता निविदा भरते समय (Annexure-2) मे उल्लेखित सभी दस्तावेज क्रमिक रूप से हस्ताक्षरित कर पेज नम्बर के साथ अपलोड करावें तथा एक लिफाफें मे निविदा शुल्क, आर आई एस एल प्रोसेसिंग शुल्क व बिड सिक्युरिटी के डी.डी तथा ब्लेकलिस्टिंग से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग एक लिफाफें मे सीलबद्ध कर इस लिफाफें के उपर तकनीकी दस्तावेज लिखा जाना चाहिए। जो सचिव, राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर को सम्बोधित हो, बिड अपलोड करने के लिए नियत तिथि व समय तक कौंसिल कार्यालय मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur
(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Annexure-3

Part II: "Financial Bid"

FOR

(राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये अंकित विशेष विवरण (Siecifications) के अनुसार एक लाख बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में)

1. कार्य का **ई–प्रोक्योरमेन्ट/ई –निविदा होने के कारण निविदादाता द्वारा अनपी दरें ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल** में (B.O.Q) में प्रति उत्तरपुस्तिका की दर के अनुसार भरी जायेगी।
2. प्रस्तावित दरें FOR, Store Rajasthan State Allied and Healthcare Council में होगी। अर्थात् अनुमोदित बोलीदाता कों माल (उत्तरपुस्तिकाये) Rajasthan State Allied and Healthcare Council के वर्तमान कार्यालय/स्टोर तक सुपुर्द करना होगा।
3. प्रस्तावित दरें निविदा की अन्तिम दिनांक से 06 माह तक मान्य/प्रभावी होगी।
4. अनुमोदित बोलीदाता को कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 20 दिन में एक लाख उत्तरपुस्तिकायें मुद्रित कर कौंसिल कार्यालय के स्टोर/भण्डार में आपूर्ति करनी होगी। इसके बाद 06 माह की अवधि तक, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उत्तरपुस्तिकायें मुद्रित करने हेतु भी कार्यादेश दिया जा सकता है जिसके अनुसार अतिरिक्त उत्तरपुस्तिकाओं की भी आपूर्ति करनी होगी।

Signature of Bidder With seal

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur
(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Annexure-4

AGREEMENT

An agreement made this................ day of .... between..............(hereinafter called"the approved supplier" ,which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators of the one part and the Rajasthan State Allied and Healthcare Council (hereinafter called "RSAHC" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other other part

2. Whereas the approved supplier has agreed with the RSAHC to supply to the.................. of the State of Rajasthan at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles forth in the schedule appended hereto in the rates set forth in coiumn............. of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs. .... in............(1)Cash/Bank /Draft/Challan no./Banker Cheque no./Bank Guarantee no. .... deted..............

4. Now these Presents witness:

(i) In consideration of the payment to be made by the RSAHC through............... at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in .... and............ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contact.

(ii) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the E-tender notice NO........... dated........... and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(iii) Letters Nos. .... received from tenderee and letters nos....... issued by the Government and appended to this agreement shall aiso form part of this agreement.

(iv) (a) The Government do hereby agree that if the approved supplier shll duiy suppiy the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RSAHC will through.............. pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each every consignment.

5. The agreement shall be effected and completed within the period noted below from the dete of supply order:-

S. No.	Items	Quantity	Period	Delivery

6. (1) (i) In case of extension in delivery period with liqudated damages, the recovery shll be made on the basis of following percentages of value of stores which the tended hes failed to supply:

(a) Delay upto two days period of 2½% the prescribed delivery period.

(b) Delay upto four days period of 5% the prescribed delivery period.

(c) Delay upto six days period of 7½% the prescribed delivery period.

(d) Delay upto eight days or more period of 10% the prescribed delivery period.

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur
(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Note:

(i) Fraction of a day in reckoning period delay in supplies shall be eliminated if is less than half a day.
(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages by 10%
(iii) If the supplier requires an extension time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hinderences, he shll apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediateiy on occurrence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of suppiy.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of of ninderences beyond the control of the tenderer.

7. The agreement shall remain from ....to................ i.e. a period of................ and shall be binding on doth rhe parties unless terminated earslier or modified by both the parties.

8. Period of agreement will be extended on same terms and conditions on mutual consent of both the parties.

9. The jurisdiction of all dispute will be "Jaipur".

10. The Payment Scheduie will be as under:

On Submission of bill	100% of the Amount of bill as per the Work Order

11. All disputes arising out of this agreement and questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the RSAHC and the decision of the RSAHC ahall be final. in witness whereof the parties hereto have set their hands on the.......... day of 2022

Signature of the
Approved Bidoler
Date:

Witness No. 1.

Witness No. 2.

Signature for and on behalf RSAHC
Designation
Date:

Witness No. 1.

Witness No. 2.

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur
(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Annexure–5

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम , 2012 के अधीन

अपील का ज्ञापन

............................की अपील सं.................................

प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी............................के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां
   (i) अपलीर्थी का नाम
   (ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो
   (iii) आवासिय पता
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पताः
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. आदेश का संख्याक और तारीख जिसके विरूद्व अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करे) या अधिनियम के उपबंधो के उल्लधन में उपापन संस्था के किसी विनिश्यच, कार्य का लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित हैः
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पताः
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजो की संख्याः
6. अपील का आधार...
   ....
   ....(शपथ पत्र द्वारा समर्थित)
7. प्रार्थना का आधारः–...
   ....
   ....
   ....

   स्थानः–......................................
   तारीखः–.....................................

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur
(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Annexure–6

निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाये

घोषणा–पत्र

हमें/मुझे राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा पैरामेडिकल से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिये निम्नानुसार अंकित विशेष विवरण (Specifications) के अनुसार एक लाख बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण के सम्बन्ध में निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है मेरे द्वारा दी कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार कराने के लिए मैं विभाग को बाध्य नहीं करूंगा एवं विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो की कठोरता से अनुपालना करूंगा।

हमे राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर द्वारा दी गई निविदा की समस्त शर्त स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सम्पूर्ण पता एंव दिनांक

राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर
Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur
(सी–7 ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर)
http://rajasthanparamedicalcouncil.org Ph. No.0141-4004914

Annexure-7

50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्पादित किया जायें

Declaration by the bidder

I/We the Proprietor/Partner(s)/Director(s) of M/s ....hereby declare that out Firm/Company namely M/s...Has not been blacklisted or debarred in the past by any Government Undertaking Organization and Central /State Govt. Department of any other Government organization from taking part in Government tenders.

In Case any of the above information is found false I/We are fully aware that the tender/ contract will be rejected/cancelled by the RSAHC, the EMD/SD shall be forfeited and action may be taken as per the RTPP Rules, 2013 and other legal rules.

In Addition to the above the RSAHC will stop the process of payment of all bills immediately and shall not be responsible to pa the bills for any completed/partially completed work.

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Designation:

Address :